



अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात अधिनियम, 1989 पर नरिणय

प्रलिमिंस के लयि:

[सरवोच न्यायालय](#), [अनुसूचति जात](#), [अनुसूचति जनजात](#), [अग्रमि जमानत](#), [वधिन सभा के सदस्य](#), [वशिष न्यायालय](#)

मेन्स के लयि:

नीतयिों के डज़ाइन और कार्यानवयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (अत्याचार नवारण) अधिनियम, 1989

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में भारत के [सरवोच न्यायालय \(SC\)](#) ने [अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात \(अत्याचार नवारण\) अधिनियम, 1989](#) के संबंघ में एक महत्त्वपूर्ण नरिणय दयिा। न्यायालय ने जसि महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर वचिार कयिा, वह यह था कि [अनुसूचति जात \(SC\)](#) या [अनुसूचति जनजात \(ST\)](#) के सदस्योँ को [धमकाने](#) या [उनका अपमान](#) करने के कृत्य स्वतः ही [अधिनियम के उल्लंघन हैं](#) या नहीं।

- यह नरिणय एक YouTube चैनल के संपादक को [अग्रमि जमानत](#) देने के संदर्भ में आया, जसि पर अधिनियम के तहत आरोप लगे थे।

SC/ST अधिनियम, 1989 के तहत अपमान पर सरवोच न्यायालय का क्या नरिणय है?

- मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला इन आरोपोँ पर आधारति था कि संपादक (YouTuber) ने [वधिनसभा के एक सदस्य \(MLA\)](#) के बारे में अपमानजनक टपिपणी की थी, जो SC समुदाय से संबंघति है।
- सरवोच न्यायालय के नरिणय:
 - अधिनियम का दायरा: सरवोच न्यायालय ने नरिणय सुनाया कि SC/ST के सदस्योँ को नशिाना बनाकर कयिा गया अपमान या धमकी अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (अत्याचार नवारण) अधिनियम, 1989 के तहत स्वतः ही अपराध नहीं माना जाता।
 - यदि अपमान या धमकी पीड़ति की जातगित पहचान से वशिष रूप से जुड़ा है तो ही अधिनियम लागू कयिा जाना चाहयि।
 - अधिनियम की धारा 3(1)(r) के तहत न्यायालय ने 'अपमान करने के इरादे' की व्याख्या पीड़ति की जातगित पहचान से नकितता से जुड़े होने के रूप में की।
 - केवल पीड़ति की SC/ST स्थति जानना पर्याप्त नहीं है; अपमान का उद्देश्य जातके आधार पर अपमानति करना होना चाहयि।
 - धारा 18 पर स्पष्टीकरण: न्यायालय ने स्पष्ट कयिा कि अधिनियम की धारा 18, जो परंपरागत रूप से अग्रमि जमानत को प्रतबिंधति करती है, ऐसी जमानत देने पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाती।
 - न्यायालयोँ को धारा 18 लागू करने से पहले यह नरिधारति करने के लयि प्रारंभकि जाँच करनी चाहयि कि क्या आरोप अधिनियम के तहत अपराध के मानदंडोँ को पूरा करते हैं।
 - न्यायालय ने संपादक को अग्रमि जमानत दे दी, क्योँकि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मलिा कि उसके द्वारा की गई टपिपणी वधियक की जातगित पहचान के कारण उन्हें अपमानति करने के इरादे से की गई थी।
 - नषिकर्ष के आधार पर न्यायालय ने यह कहा कि संपादक की टपिपणयोँ का उद्देश्य वधियक की अनुसूचति जात की स्थति के आधार पर अपमान करना नहीं था।

अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (अत्याचार नवारण) अधिनियम, 1989 क्या है?

- परिचय: अनुसूचति जात और अनुसूचति जनजात (अत्याचार नवारण) अधिनियम, 1989, जसि SC/ST अधिनियम 1989 के रूप में भी जाना जाता है, एससी और एसटी के सदस्योँ को जात-आधारति भेदभाव और हसिा से बचाने के लयि अधिनियमति कयिा गया था।
 - भारतीय संवधिन के अनुच्छेद 15 और 17 में नहिति, इस अधिनियम का उद्देश्य इन हाशयि पर स्थति समुदायोँ की सुरक्षा सुनश्चिति करना और पछिले कानूनों की अपर्याप्तता को दूर करना है।

- **ऐतहासिक संदर्भ:** यह अधिनियम अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 पर आधारित है, जो जाति के आधार पर अस्पृश्यता तथा भेदभाव को समाप्त करने के लिये स्थापित किया गया था।
- **नियम और कार्यान्वयन:** केंद्र सरकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये नियम बनाने हेतु अधिकृत है, जबकि राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेश केंद्रीय सहायता से इसे लागू करते हैं।
- **मुख्य प्रावधान:** SC/ST अधिनियम सदस्यों के खिलाफ शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और सामाजिक भेदभाव सहित वशिष्ट अपराधों को परभाषित करता है। यह इन कृत्यों को "अत्याचार" के रूप में मान्यता देता है और अपराधियों के लिये कठोर दंड निर्धारित करता है।
 - अधिनियम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार करने के दोषी पाए जाने वालों के लिये कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। इसमें भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसमें अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 के रूप में प्रतिसि्थापित किया गया है) के तहत दिये गए दंड से अधिक दंड शामिल हैं।
 - अग्रिम जमानत प्रावधान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम, 1989 की धारा 18 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (जिसमें अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के रूप में प्रतिसि्थापित किया गया है) की धारा 438 के कार्यान्वयन पर रोक लगाती है जो अग्रिम जमानत का प्रावधान करती है।
 - अधिनियम में त्वरित सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना और अधिनियम के कार्यान्वयन की नगिरानी के लिये वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठों की स्थापना का आदेश दिया गया है।
 - अधिनियम के तहत अपराधों की जाँच पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं की जानी चाहिये और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी की जानी चाहिये।
 - इस अधिनियम में पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने का प्रावधान है, जिसमें वित्तीय मुआवज़ा, कानूनी सहायता और सहायक सेवाएँ शामिल हैं।
- **बहिष्करण:** यह अधिनियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बीच हुए अपराधों को कवर नहीं करता है; इनमें से कोई भी एक-दूसरे के खिलाफ अधिनियम को लागू नहीं कर सकता है।
- **वर्तमान संशोधन:**
 - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015: वर्ष 2015 के संशोधन का उद्देश्य अधिक कठोर प्रावधानों को शामिल करके और अधिनियम के दायरे का विस्तार करके अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली सुरक्षा को मज़बूत करना था।
 - जूते की माला पहनाना, मैला ढोने के लिये मजबूर करना और सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार तथा किसी भी तरह का सामाजिक बहिष्कार करना जैसे अपराधों की नई श्रेणियों को अब अपराध माना जाता है।
 - यौन शोषण और बर्ना सहमति के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं को जानबूझकर छूना अपराध माना जाता है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति महिलाओं को देवदासी बनाने जैसी प्रथाएँ स्पष्ट रूप से गैरकानूनी हैं।
 - अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कर्तव्यों की उपेक्षा करने वाले लोक सेवकों को कारावास का सामना करना पड़ता है।
 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018: किसी आरोपी को गरिफ्तार करने से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की मंजूरी की आवश्यकता को हटा दिया गया है। बर्ना पूर्व मंजूरी के तत्काल गरिफ्तारी की अनुमति दी गई है।

SC और ST अधिनियम, 1989 की कमियाँ क्या हैं?

- **विशेष न्यायालयों के लिये अपर्याप्त संसाधन:** अत्याचार के मामलों को नपिटाने हेतु नामित विशेष न्यायालयों में अक्सर पर्याप्त संसाधनों और बुनियादी ढाँचे का अभाव होता है।
 - इनमें से कई अदालतें SC/ST अधिनियम के दायरे से बाहर के मामलों को संभालती हैं, जिसके परिणामस्वरूप अत्याचार के मामलों का लंबित होना और उनका धीमी गति से नपिटारा होता है।
- **अपर्याप्त पुनर्वास प्रावधान:** अधिनियम पीड़ितों के पुनर्वास पर सीमित विवरण प्रदान करता है तथा अस्पष्ट तरीके से केवल सामाजिक और आर्थिक सहायता पर ही ध्यान केंद्रित करता है।
 - पीड़ितों को शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कठिनाइयों सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पीड़ितों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में सहायता करने के लिये अधिक व्यापक पुनर्वास उपायों की आवश्यकता है।
- **जागरूकता का अभाव:** पीड़ितों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों सहित लाभार्थियों में अक्सर अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता का अभाव होता है।
 - इस कानून के सख्त प्रावधानों, जिसमें बर्ना वारंट के गरिफ्तारी और गैर-जमानती अपराध शामिल हैं, के कारण दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। आलोचकों का तर्क है कि कानून के व्यापक दायरे के कारण गैर-SC/ST पृष्ठभूमि के व्यक्तियों पर झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं और उन्हें परेशान किया जा सकता है।
- **कवर किये गए अपराधों का सीमित दायरा:** कुछ अपराध, जैसे ब्लैकमेलिंग, जिसके कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच अत्याचार होते हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से कवर नहीं किये गए हैं।
 - अधिनियम की अत्याचार की परिभाषा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा सामना किये जाने वाले सभी प्रकार के दुरव्यवहार शामिल नहीं हो सकते हैं, इसलिये ऐसे अपराधों को शामिल करने के लिये संशोधन की आवश्यकता है।

SC और ST अधिनियम, 1989 के संबंध में न्यायिक अंतरदृष्टि

- **कनुभाई एम. परमार बनाम गुजरात राज्य, 2000:** गुजरात उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि यह अधिनियम अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के बीच किये गए अपराधों पर लागू नहीं होता है।
 - तर्क यह है कि इस अधिनियम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को उनके समुदाय से बाहर के व्यक्तियों द्वारा किये गए

अत्याचारों से बचाना है।

- **राजमल बनाम रतन सहि, 1988:** पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि SC एवं ST अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालय, विशेष रूप से अधिनियम से संबंधित अपराधों की सुनवाई के लिये नामित हैं।
 - फैसेले में इस बात पर जोर दिया गया कि इन अदालतों को नयिमति मजसिद्रेट या सत्र अदालतों के साथ भरमति नहीं किया जाना चाहयि।
- **अरुमुगम सेरवाई बनाम तमलिनाडु राज्य, 2011:** सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि SC/ST समुदाय के कसिी सदस्य का अपमान करना SC और ST अधिनियम के तहत अपराध है।
- **सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, 2018:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 18 के तहत अग्रमि जमानत प्रावधानों का बहषिकार पूरण प्रतबिंध नहीं है।
 - इसका अर्थ यह है कि भिले ही धारा 18 अग्रमि जमानत पर रोक लगाती हो, फरि भी अदालत ऐसे मामलों में अग्रमि जमानत दे सकती है, जहाँ अत्याचार या उल्लंघन के आरोप झूठे प्रतीत होते हों।

?????? ???? ????:

प्रश्न. SC/ST अधिनियम, 1989 के प्रमुख प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। हाल के संशोधन और न्यायिक नर्णय इस कानून के प्रवर्तन और व्याख्या को कसि प्रकार आकार देते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रतभेदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य वधिकि पहलें क्या हैं ? (2017)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/supreme-court-ruling-on-the-sc-and-st-act-1989>

